

विदेशों को विद्युत आपूर्ति

527. श्री जगन्नाथ सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कुल कितने मेगावाट विद्युत की खपत है तथा कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार विदेशों को विद्युत आपूर्ति कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका विस्तृत ब्यौर क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) 31.3.96 के अनुसार देश में अधिष्ठापित क्षमता, व्यस्ततमकालीन मांग तथा व्यस्ततमकालीन आपूर्ति नीचे दिए गए ब्यौर के अनुसार है:—

31.3.96 के अनुसार

अधिष्ठापित क्षमता (मे०वा०) —83287.96

व्यस्ततमकालीन मांग (मे०वा०) —60981

व्यस्ततमकालीन आपूर्ति (मे०वा०) —49836

(ख) और (ग) 50 मे०वा० तक भारत से नेपाल में विद्युत का निर्यात भारत-नेपाल सीमा के पास 17 स्थलों नामशः बिहार से 10 स्थलों तथा उ०प्र० प्रणाली से 7 स्थानों से किया जा रहा है। इसके साथ ही, वर्ष 1995-96 के दौरान भूटान की चूकखा जल-विद्युत परियोजना से 1508.8 मि०यू० ऊर्जा का उत्पादन किया गया, जिसके अनुसार पश्चिम बंगाल और असम में भी विद्युत का निर्यात किया जा रहा है।

विवेकाधीन कोटे से खोखे एवं दुकानों का आवंटन

528. श्री नागमणि:

श्री ईश दत्त यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकलांग व्यक्तियों को उप-राज्यपाल के विवेकाधीन कोटे से पिछले वर्ष कितने खोखे एवं दुकानें आवंटित की गईं तथा अगले तीन वर्षों में कितने खोखे एवं दुकानें आवंटित करने का विचार है;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु गठित की गई समिति को ऐसे सभी आवेदन-पत्र सौंप दिए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(घ) समिति द्वारा इस प्रकार के आवंटन हेतु क्या मॉडल अपनाए गए हैं;

(ङ) बचे हुए आवेदकों को खोखे एवं दुकानें कब तक आवंटित कर दी जाएंगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटस्वरत्न): (क) से (ङ) दि०वि०प्रा० ने सूचना दी है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को दुकानों और खोखों की आवंटन हेतु दिल्ली के उप राज्यपाल का विवेकाधीन कोटा नहीं है। विकलांग लोगों को दुकानों/खोखों के आवंटन को उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा, जिसमें शहरी कार्य और रोजगार मंत्री तथा दिल्ली के उप-राज्यपाल हैं, अन्तिम रूप देते समय केवल परम सदाशयता के आधार पर ही विचार किया जाता है। ऐसे सभी मामलों की जांच पड़ताल जांच समिति द्वारा की जाती है और उपयुक्त पाये गये मामले उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष उनके विचारार्थ रखे जाते हैं।

गत वर्ष के दौरान समिति के समक्ष 14 ऐसे मामले रखे गये थे और सभी मामलों में आवंटन कर दिये गये हैं तथा कोई मामला लम्बित नहीं है।

अगले तीन वर्षों के दौरान विचार किये जाने वाले मामलों की संख्या उस प्रयोजनार्थ प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या पर निर्भर करेगी।

Implementation of Murari Committee recommendations on deep sea fishing

529. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the details of recommendations made by the Murari Committee on deep sea fishing policy and those accepted by Government;

(b) the details of recommendations taken for implementation by Government; and

(c) its impact on the operations of multinational companies at present operating in the Indian ocean?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) to (c) A copy of the